

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
पीठासीन अधिकारी मुकुल शर्मा, आई.ए.एस.

पत्रावली संख्या : 47 / 2025 अन्तर्गत प्रतिभूति-हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002

पंजाब नेशनल बैंक, शाखा:- लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर

-प्रार्थी (प्रतिभूति लेनदार)

बनाम

1. अली शेर पुत्र याशीन खान, मिया की ढाणी, रोरु बडी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान
2. आमीन खान पुत्र असगर अली खान, राजास, जिला सीकर, राजस्थान
3. आईसा बानो पत्नी याशीन खान, रोरु बडी, तहसील लक्ष्मणगढ, जिला सीकर, राजस्थान

-अप्रार्थीगण (ऋणी / सहऋणी / बंधककर्ता)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002.

स्वीकृति आदेश

दिनांक: 23 जून, 2025

1. प्रार्थी वित्तीय संस्था के अधिवक्ता श्री मनोज कुमार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः अली शेर पुत्र याशीन खान, आमीन खान पुत्र असगर अली खान एवं आईसा बानो पत्नी याशीन खान की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी आईसा बानो पत्नी याशीन खान के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्तियां जो कि निम्न प्रकार हैं:-

- i. प्रथम बंधक अचल सम्पत्ति:- दुकान नं. 03, भू तल, सुरेश प्लाजा, वार्ड नं. 14, लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 149.50 वर्गफुट है। चतुर्थ सीमाएं- पूर्व दिशा में दुकान ईमामुदीन धोबी की पत्नि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में दुकान नं. 4 आईसा बानों की व नीचे व उपर जाने की पेडिया एवं दक्षिण दिशा में दुकान नं. 2 मुश्ताक खिलजी की स्थित है।
- ii. द्वितीय बंधक अचल सम्पत्ति:- दुकान नं. 04, भू तल, सुरेश प्लाजा, वार्ड नं. 14, लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 183 वर्गफुट है।

२

(मुकुल शर्मा)
 जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



चतुर्थ सीमाएं— पूर्व दिशा में नीचे व उपर जाने की पेडिया, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में दुकान नं. 03 स्थित है।

उक्त सम्पत्तियों को बंधक रखकर **कुल ₹9,00,000/- (अक्षरे रूपये नो लाख)** की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थीगण ऋणी द्वारा प्रार्थी वित्तीय संस्था को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण को दिनांक **13.05.2024** को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किए गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी वित्तीय संस्था ने The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बंधक सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित हुए परन्तु बकाया ऋण के भुगतान से सम्बन्धित कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया है।
3. पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। प्रार्थी वित्तीय संस्था को भारत का राजपत्र में जारी वित्त मंत्रालय की अधिसूचना में सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत वित्तीय संस्थान के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।
4. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थीगण ऋणी को दिनांक **13.05.2024** को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया है जिसकी अप्रार्थीगण ऋणी की प्राप्ति रसीद (Acknowledgement) की एवं समाचार पत्र में प्रकाशन की फोटो प्रति प्रार्थी वित्तीय संस्थान द्वारा प्रस्तुत की गई है।
5. अतः The Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 क्रमशः **अली शेर पुत्र याशीन खान, आमीन खान पुत्र असगर अली खान एवं आईसा बानो पत्नी याशीन खान** की ओर से पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में प्रार्थी वित्तीय संस्था के पक्ष में अप्रार्थी **आईसा बानो पत्नी याशीन खान** के स्वामित्व की बंधक अचल सम्पत्तियां जो कि निम्न प्रकार है:-
 - i. **प्रथम बंधक अचल सम्पत्ति:-** दुकान नं. 03, भू तल, सुरेश प्लाजा, वार्ड नं. 14, लक्ष्मणगढ, जिला-सीकर, राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 149.50 वर्गफुट

१

(मुकुल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर



है। चतुर्थ सीमाएं— पूर्व दिशा में दुकान ईमामुदीन धोबी की पत्नि, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में दुकान नं. 4 आईसा बानों की व नीचे व उपर जाने की पेडिया एवं दक्षिण दिशा में दुकान नं. 2 मुश्ताक खिलजी की स्थित है।

- ii. **द्वितीय बंधक अचल सम्पत्ति:**— दुकान नं. 04, भू तल, सुरेश प्लाजा, वार्ड नं. 14, लक्ष्मणगढ, जिला—सीकर राजस्थान में स्थित है जिसका क्षेत्रफल 183 वर्गफुट है। चतुर्थ सीमाएं— पूर्व दिशा में नीचे व उपर जाने की पेडिया, पश्चिम दिशा में आम रास्ता, उत्तर दिशा में आम रास्ता एवं दक्षिण दिशा में दुकान नं. 03 स्थित है।

उक्त बंधक सम्पत्तियों का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी वित्तीय संस्था को पुलिस इमदाद जरिये पुलिस अधीक्षक सीकर द्वारा प्राप्त किये जाने के **स्वीकृति आदेश** प्रकरण अथवा बंधक सम्पत्ति पर **किसी दिगर न्यायालय का स्थगन नहीं होने की शर्त पर** दिये जाते हैं। उक्त आदेश की पालना हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व न्यायालय आदि का भुगतान नियमों में देय है, जो सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थान द्वारा वहन किया जावेगा।

6. आदेश आज दिनांक **23 जून, 2025** को खुले न्यायालय में सुनाया गया।



7
(मुकूल शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर
जिला मजिस्ट्रेट, सीकर